उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 139/2025–26 दिनांक : 10.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल मिल प्रा0 लि0, रामनगर रोड, काशीपुर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। — विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल मिल प्रा0 लि0 का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–370K000003377 (6500 केवीए, औद्योगिक) का माह अप्रैल 2025 से गलत मासिक बिल जारी किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा उक्त संयोजन की एम.आर.आई. उपलब्ध करायी जा रही है उसमें अंकित रीडिंग विद्युत बिल से नहीं मिल रही है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क करने पर उनके द्वारा गलत गणना के आधार पर बिल को समायोजित कर दिया जाता है। जबकि उनके द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से भी बिजली खरीदी जा रही है, फिर भी समायोजन के दौरान विभागीय कार्यालय केवीएएच के स्थान पर केडब्लूएच पर ही ज्यादा ध्यान देते है। विभाग द्वारा विद्युत मीटर बदले जाने के बाद से ही परेशानी शुरू हुई। विभाग द्वारा जारी माह अप्रैल 2025 के विद्युत बिल में ओपन एक्सेस 3,55,001 यूपीसीएल ने 3,53,546 किलोवाट घंटा कर समायोजन किया, जिसमें 1455 केवीएएच कम का समायोजन किया गया। इसके उपरान्त स्मार्ट मीटर और चैक मीटर का अंतर एम.आर.आई. के अनुसार 10290 यूनिट रहा। एम.आर.आई. और स्मार्ट मीटर रीडिंग के अनुसार स्लैब रीडिंग में अंतर है। बिल में पीक आवर्स यूनिट 6,34,020 मानी गई जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 6,25,303 केवीएएच रही। विद्युत बिल में सामान्य घंटे इकाई 8,65,230 मानी गई जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 8,96,634 केवीएएच रही। ऑफ पीक आवर्स के 9,52,680 यूनिट बिल में शामिल की गई, जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 9,40,382 केवीएएच रही। इसके उपरान्त मासिक बिल माह मई 2025 में ओपन एक्सेस के 4,51,805 केवीएएच की बजाय 4,51,203 किलोवाट घंटा कर समायोजन किया जिसमें 602 केवीएएच कम समयोजन किया। स्मार्ट

क्रमशः 2....

मीटर और चैक मीटर की एम.आर.आई. में अंतर है। यूपीसीएल बिल के अनुसार 26,09,775 और उपलब्ध कराई गयी एम.आर.आई. के अनुसार 26,11,954 स्पष्ट है। सुबह के व्यस्यतम घंटो की यूनिटें 3,02,240 यूपीसीएल बिल में दर्शायी जा रही है और कोई समायोजन नहीं दिया गया है। एम.आर. आई. रिपोर्ट और स्मार्ट मीटर रीडिंग के अनुसार स्लैब रीडिंग में अंतर स्पष्ट है। बिल में पीक आवर्स यूनिट 8,25,480 (एमपी+ईपी) मानी गई जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 4,80,169 केवीएएच दर्ज है। बिल में सामान्य घंटो की इकाईयां 2,88,269 मानी गई है जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 5,05,449 केवीएएच दर्ज है। ऑफ पीक आवर्स यूनिट 9,84,555 को बिल में शामिल किया गया है जबकि एम. आर.आई. 9,55,034 केवीएएच है। माह मई 2025 के विद्युत बिल में 86921 रूपये की छूट बिल में दर्शायी गई है, लेकिन यूपीसीएल के खाते में दर्ज नहीं की गयी है। साथ ही अप्रैल 2025 के विद्युत बिल के लिए 100000 रूपये अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी। इसके उपरान्त भी माह जून 2025 के विद्युत बिल में ओपन एक्सेस केवीएएच 6,71,303 यूपीसीएल ने 6,70,655 किलोवाट घंटा का समायोजन किया जिसमें 648 केवीएएच का कम समायोजन मिला। स्मार्ट मीटर और चैक मीटर की एम.आर.आई. में अंतर यूपीसीएल के अनुसार 26,09,775 और उपलब्ध कराई गयी एम.आर.आई. के अनुसार 26,11,954 है। सुबह के व्यस्ततम घंटों की यूनिटें 3,02,240 यूपीसीएल बिल में दर्शायी गई है और कोई समायोजन नहीं किया गया है। एम.आर.आई. और स्मार्ट मीटर रीडिंग के अनुसार स्लैब रीडिंग में अंतर है। बिल में पीक आवर्स यूनिट 8,25,480 (एमपी+ईपी) मानी गई जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 4,80,169 केवीएएच है। बिल में सामान्य घंटे इकाइयां 2,88,269 मानी गई है जबकि एम. आर.आई. के अनुसार 5,05,449 केवीएएच है। ऑफ पीक आवर्स यूनिट 9,84,555 को बिल में शामिल किया गया जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 9,55,034 केवीएएच है। स्मार्ट मीटर 5400 के अनुसार अधिकतम मांग में अंतर जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 5109 है। एलपीएस 3990 रूपये का शुल्क लगाया गया है, जबकि विद्युत बिल का भुगतान समयानुसार हो रहा है। माह मई 2025 के बिल में छूट का प्रावधान 100000 रूपये नहीं दिया गया है। इसके उपरान्त माह जुलाई 2025 के विद्युत बिल में ओपन एक्सेस केवीएएच 4,45,437 यूपीसीएल ने 4,45,432 केवीएएच का समायोजन किया, जिसमें 05 केवीएएच का कम समायोजन किया। स्मार्ट मीटर और चैक मीटर की एम.आर.आई. में अंतर यूपीसीएल के अनुसार 34,16,683 और उपलब्ध कराई गयी एम.आर.आई. के अनुसार 27,44,112 है। सुबह के व्यस्ततम घंटों को दर्शाया जा रहा है और बाद में समायोजन दिया जा रहा है। एम.आर. आई. और स्मार्ट मीटर रीडिंग के अनुसार स्लैब रीडिंग में अंतर है। बिल में पीक आवर्स यूनिट 6,29,803 मानी गई जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 6,21,375 केवीएएच है। बिल में सामान्य घंटे इकाइयां 6,31,137 मानी गई है जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 6,64,162 केवीएएच है। ऑफ पीक आवर्स यूनिट 10,35,615 को बिल में शामिल किया गया जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 10,13,138 केवीएएच है। स्मार्ट मीटर 5342 के अनुसार अधिकतम मांग में अंतर जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 5092 है। इसके उपरान्त माह अगस्त 2025 के विद्युत बिल में ओपन एक्सेस केवीएएच 5,84,073 यूपीसीएल ने 5,83,783 केवीएएच का समायोजन किया, जिसमें 289 केवीएएच का कम समायोजन किया। स्मार्ट मीटर और चैक मीटर की एम.आर.आई. में अंतर यूपीसीएल के अनुसार 35,98,394 और उपलब्ध कराई गयी एम.आर.आई. के अनुसार 28,90,147 है। विद्युत बिल में सुबह के व्यस्ततम घंटों को दर्शाया जा रहा है और बाद में समायोजन दिया जा रहा है। एम.आर.आई. और स्मार्ट मीटर रीडिंग के अनुसार स्लैब रीडिंग में अंतर है। यूपीसीएल विभाग द्वारा जारी किए गये विद्युत बिलों में ओपन एक्सेस इकाइयों का समायोजन प्रदान करते समय केवीएएच के स्थान पर केडब्लूएच को

क्रमशः 3....

आधार माना जाता है, जबकि विद्युत बिल केवीएएच के आधार पर तैयार किया जाता है। माह अगस्त 2025 तक की अवधि के विद्युत बिलों की त्रुटियों को ठीक करते हुए रू0 55992.00 व 7918 केवीएएच का समायोजन दिया जाना आवश्यक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने माह अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक के विद्युत बिलों की त्रुटियों को सुधारते हुए संशोधित बिल जारी कराने एवं अतिरिक्त जमा धनराशि पर ब्याज दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 18.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.10.2025, 25.10.2025, 07.11.2025 व 28.11.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—7838 दिनांक 28.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 2025 से अगस्त 2025 तक के विद्युत बिलों को विभागीय नियमानुसार संशोधन के उपरांत रू0 387668.00 परिवादी के विद्युत बिलों के सापेक्ष रिफण्ड किया जाना प्रस्तावित है। विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—8269 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा इस मंच को पुनः अवगत कराया है कि परिवादी के माह मई 2025 एवं जून 2025 के विद्युत बिलों में क्रमशः रू0 645.34 एवं 3990.21 का अग्रिम सरचार्ज खण्ड कार्यालय के आदेश संख्या—8156 दिनांक 19.11.2025 तथा उक्त माह के विद्युत बिलों में Payment Rebate की राशि रू0 2,00,000.00 को भी खण्ड कार्यालय के आदेश संख्या—8157 दिनांक 19.11.2025 के माध्मय से परिवादी के विद्युत बिलों के सापेक्ष घटाये जाने हेतु आदेश पारित किये गये है। उक्त समायोजनों के उपरान्त परिवादी का रू0 (–) 2,04,635.55 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मुराल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 140/2025–26 दिनांक : 10.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 गलवलिया इस्पात उद्योग प्रा0 लि0,
नारायन नगर, बाजपुर रोड, काशीपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 गलवलिया इस्पात उद्योग प्रा0 लि0 का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–370K000003357 (35000 केवीए औद्योगिक) का माह मई 2025 से गलत मासिक बिल प्राप्त हो रहा है, जिसकी शिकायत विभागीय कार्यालय में भी की गई है, परन्तु को सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग द्वारा प्रेषित बिल एवं एम.आर.आई. रीडिंग का मिलान नहीं हो रहा है। विभाग द्वारा बिलों में जो समायोजन दिया जा रहा है उससे विश्वसनीयता और प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। विभाग द्वारा गलत बिल जारी किए जाने से उनको वित्तीय नुकसान हो रहा है। विभाग द्वारा माह मई 2025 के विद्युत बिल में स्मार्ट मीटर और चैक मीटर का अंतर 1,19,09,704 है जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 1,18,97,902 प्रदर्शित है। विभाग द्वारा विद्युत बिल में सुबह के व्यस्ततम घण्टों को 232 केवीएएच दर्शाया जा रहा है। एम.आर.आई. और स्मार्ट मीटर रीडिंग के अनुसार स्लैब रीडिंग में भी अंतर है। बिल में सामान्य घण्टों की इकाइयां 25,13,836 मानी गई है जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 24,18,370 केवीएएच है, जो 75,702 केवीएएच अधिक है। बिल में पीक आवर्स यूनिट 16,00,083 मानी गई है, जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 24,11,447 केवीएएच है, जो 8,11,364 केवीएएच कम है। ऑफ पीक आवर्स यूनिट 24,41,822 को बिल में शामिल किया गया जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 39,26,162 केवीएएच है, जो 14,84,340 केवीएएच अधिक है। विद्युत बिल में स्लैब परिवर्तन के कारण अंतिम हानि रू0 9,48,519.00 है। इसके उपरांत विभाग द्वारा माह जुलाई 2025 के विद्युत बिल में एम.आर.आई. और स्मार्ट मीटर रीडिंग के अनुसार स्लैब रीडिंग में अंतर है। बिल में सामान्य घण्टों की इकाइयां 30,03,998 मानी गई है जबकि एम.आर.आई. के अनुसार

क्रमशः 2....

29,93,683 केवीएएच है, जो 10,314 केवीएएच अधिक है। बिल में पीक आवर्स यूनिट 23,11,328 मानी गई है, जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 22,47,524 केवीएएच है, जो 63,804 केवीएएच अधिक है। ऑफ पीक आवर्स यूनिट 42,14,563 को बिल में शामिल किया गया जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 42,91,998 केवीएएच है, जो 77,435 केवीएएच कम है। विद्युत बिल में स्लैब परिवर्तन के कारण अंतिम हानि रू0 2,41,129.00 है। इसके उपरांत विभाग द्वारा माह अगस्त 2025 के विद्युत बिल में स्मार्ट मीटर और चैक मीटर में अंतर 1,13,45,175 है, जबकि उपलब्ध कराई गयी एम.आर.आई. के अनुसार 87,06,240 है। बाद में इकाइयों का समायोजन 26,92,823 इकाइयों का दिया गया है जिससे कार्यप्रणाली अस्पष्ट है। विभाग द्वारा बिल में सुबह के व्यस्ततम घंटों को दर्शाया जा रहा है और बाद में समयोजन भी दिया जा रहा है। एम.आर.आई. और स्मार्ट मीटर रीडिंग के अनुसार स्लैब रीडिंग में भी अंतर है। बिल में पीक आवर्स यूनिट 8,74,775 मानी गई है, जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 7,99,074 केवीएएच है, जो 95,466 केवीएएच अधिक है। बिल में सामान्य घण्टों की इकाइयां 25,13,836 मानी गई है जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 24,18,370 है, जो 75,702 केवीएएच अधिक है। ऑफ पीक आवर्स यूनिट 21,74,132 को बिल में शामिल किया गया जबकि एम.आर.आई. के अनुसार 23,55,872 केवीएएच है, जो 1,81,739 केवीएएच कम है। बिल रू0 880.00 का एलपीएस चार्ज किया गया है जबकि वह अपने बिल का भुगतान समयानुसार कर रहे हैं। विद्युत बिल में स्लैब परिवर्तन के कारण अंतिम हानि रू0 3,81,051.00 है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिलों को संज्ञान लेते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 18.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.10.2025, 25.10.2025 व 28.11.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–7808 दिनांक 24.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के औद्योगिक विद्युत संयोजन के माह मई 2025 से अगस्त 2025 तक के विद्युत बिलों को विभागीय नियमानुसार पुनः संशोधित कर रू0 7360.41 का बिल बना दिया गया है, जो परिवादी के विद्युत बिलों के सापेक्ष वसूल किया जाना प्रस्तावित है। विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–8268 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा इस मंच को पुनः अवगत कराया है कि परिवादी के माह अगस्त 2025 एवं अक्टूबर 2025 के विद्युत बिलों में क्रमशः रू0 880.20 एवं रू0 91.99 का अग्रिम सरचार्ज जोड़ा गया था जिसे खण्ड कार्यालय के आदेश संख्या–8158 दिनांक 19.11.2025 के माध्यम से परिवादी के विद्युत बिलों के सापेक्ष घटाये जाने हेतु आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त समायोजनों के उपरान्त परिवादी का रू0 2,91,99,593.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है जिसका भुगतान भी परिवादी द्वारा दिनांक 21.11.2025 को कर दिया गया है। वर्तमान में परिवादी पर कोई बकाया शेष नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 3....

परिवाद संख्या–140 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र ग्वाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 167/2025–26 दिनांक : 10.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री पंकज कुमार राणा, परिवादी
ग्राम नकुलिया, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री पंकज कुमार राणा का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–881S312180637 (01 किलोवाट घरेलू) पर दिनांक 23.08.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है, जिसका सितम्बर माह में दिनांक 08.09.2025 को रू0 13364.00 का बिल प्राप्त हुआ, जबकि अगस्त माह का बिल रू0 686.00 का आया था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद इतना अधिक बिल प्रेषित किया गया है, जो गलत है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करायी गयी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 18.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.10.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.11.2025 व 27.11.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3553 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत बीजक दिनांक 08.09.2025 के 1711 यूनिट का निर्गत हुआ जो मापक जम्प होने के कारण प्रतीत होता है। जिसके पश्चात् परिवादी का

क्रमशः 2....

बीजक रू0 13364.00 का निर्गत हुआ। परिवादी का खराब विद्युत मापक दिनांक 24.08.2025 को परिवर्तित कर दिया गया। परिवादी का विद्युत बीजक औसत खपत के अनुसार संशोधित करने पर रू0 13219.00 का समायोजन देते हुए रू0 1071.99 का संशोधित बिल बना दिया गया है, जिसका भुगतान भी परिवादी द्वारा दिनांक 18.11.2025 को कर दिया गया है। वर्तमान में परिवादी को मीटर पाठयांक के आधार पर बिल जारी हो रहे हैं एवं वर्तमान में शून्य बकाया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 168/2025–26 दिनांक : 10.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सीमा अग्रवाल स्व0 श्री मनीष अग्रवाल, परिवादी
सीएमओ हाउस फस्ट फ्लोर, पुराना जे.एल.एन. हॉस्पिटल, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सीमा अग्रवाल स्व0 श्री मनीष अग्रवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891A127224284 (04 किलोवाट घरेलू) जो उनके स्वर्गीय पति श्री मनीष अग्रवाल के नाम पर दर्ज है। उन्हें आवंटित सरकारी आवास अब अधिकारिक तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को पुनः आवंटित कर दिया गया है। पुनः आवंटन के बाद, विद्युत विभाग का विद्युत मीटर इंदिरा चौक स्थित विद्युत विभाग को वापस कर दिया और उक्त कनेक्शन को स्थायी रूप से बन्द करने का लिखित अनुरोध किया गया। हालांकि उक्त कनेक्शन काटने और मीटर वापस करने के अनुरोध के बावजूद उक्त कनेक्शन अभी भी बन्द नहीं किया गया है और लगातार बिल जारी किए जा रहे हैं। यह स्थिति अनावश्यक परेशानी का कारण बन रही है, क्योंकि संपत्ति अब किसी अन्य आवंटी के कब्जे में है, फिर भी उनके दिवंगत पति के नाम पर बिल जारी किए जा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से अनुचित और अवैध है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने स्वर्गीय पति के नाम दर्ज उक्त विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से बन्द कराने एवं फर्जी विद्युत बिलों को निरस्त कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0ति0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 18.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.10.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.11.2025 व 27.11.2025 को परिवादिनी

क्रमशः 2....

अनुपस्थित रही जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4923 दिनांक 22.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन की बिलिंग प्रणाली में दिनांक 24.10.2025 को स्थायी विच्छेदन किया जा चुका है। परिवादिनी द्वारा दिनांक 17.10.2025 को निर्गत विद्युत बीजक रू0 2978.00 का भुगतान दिनांक 04.11.2025 को कर दिया गया है। परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन की पी0डी0 का कार्यालय ज्ञाप संख्या–5211125001 दिनांक 21.11.2025 को जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत संयोजन के स्थायी विच्छेदन के कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 183/2025–26 दिनांक : 10.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जीशान पुत्र श्री महबूब अली, परिवादी
ग्राम भव्वानगला, केलाखेड़ा, तहसील बाजपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री जीशान पुत्र श्री महबूब अली का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–361CH02089216 (01 किलोवाट घरेलू) जो उनके पिता के नाम दर्ज है। वह अपने विद्युत बिल का भुगतान नियमित रूप से कर रहे थे, लेकिन अचानक माह मार्च 2025 से विद्युत बिल आना बन्द हो गया जिसक कारण भुगतान भी नहीं हो पाया। जबकि उनका मीटर परिसर के बाहर स्थापित है जो साफ दिखाई दे रहा है। इसके उपरान्त माह अक्टूबर 2025 में मीटर रीडर नरेश उसके परिसर आता है और कहता है कि मीटर में 3500 रीडिंग एकत्र हो गई है जिसका बिल बनेगा। इस प्रार्थी ने एकत्र बिल जमा न कर पाने के कारण बिल रीडिंग 3–4 बार लेने को कहा, जिस पर मीटर रीडर नरेश और विनय ने कहा कि रू0 15000.00 दे दो, तुम्हारी पूरी रीडिंग खत्म कर देंगे। यह सुनकर परिवादी ने मना कर दिया तो मीटर रीडर ने रू0 10000.00 देने को कहा, इस पर भी परिवादी ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके उपरान्त परिवादी का 2544 यूनिट दर्ज करते हुए बिल जारी कर दिया गया और बकाया 1000 रीडिंग मीटर में रह गयी। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर जारी विद्युत बिल का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थता जताते हुए दोषी कर्मचारियों पर कानूनी कार्यवाही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा

क्रमशः 2....

नोटिस जारी कर दिनांक 15.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 28.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 28.11.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—4256 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय के पत्र संख्या—3844 दिनांक 06.11.2025 के माध्यम से एक जांच समिति का गठन किया गया है एवं विद्युत बिल से सम्बन्धित शिकायत के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि परिवादी का विद्युत बिल वर्तमान रीडिंग 11162 केडब्लूएच के अनुसार ही प्रेषित किया गया है, परन्तु परिवादी द्वारा अत्यधिक रीडिंग होने के सम्बन्ध में उपरोक्त शिकायत की गई है। जिसके उपरान्त उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की एम.आर.आई. करायी गई जिससे ज्ञात हुआ कि परिवादी के विद्युत मापक में दर्ज वर्तमान रीडिंग सही है। किन्तु पूर्व में मीटर रीडर द्वारा वास्तविक खपत से कम रीडिंग की प्रविष्टि बिलिंग सिस्टम में की जा रही थी। अतः एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार अवधि दिनांक 16.12.2023 से दिनांक 21.11.2025 तक की कुल रीडिंग को समान रूप से बांटते हुए संशोधित बिल बनाया गया जिसमें रू0 4931.00 का समायोजन दिया गया। समायोजन के उपरान्त परिवादी का रू0 29,671.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। इस प्रकरण में दोषी कर्मचारियों की पहचान करना अथवा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार इस मंच को प्राप्त नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबन्धी शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र गैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 191/2025–26 दिनांक : 10.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती जाहिदा बेगम पत्नी श्री मौहम्मद नईम, फजलपुर महरौला, प्रीत विहार, रूद्रपुर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 — विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती जाहिदा बेगम पत्नी श्री मौहम्मद नईम का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891A706658021 (02 किलोवाट घरेलू) का वर्तमान विद्युत बिल रू0 1432.00 का निर्गत किया गया है जिसमें पिछले बिल की धनराशि भी जोड़ी गयी है। अतः विद्युत बिल को संशोधित किया जाये। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 19.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4895 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बीजक के बिलिंग प्रणाली की जांच करने पर पाया गया कि माह 11/2025 में निर्गत विद्युत बीजक के सापेक्ष कुल रू0 435.00 भुगतान हेतु लम्बित है। परिवादिनी के द्वारा पूर्व में माह 10/2025 के विद्युत बीजक के सापेक्ष भुगतान की गई धनराशि रू0 997.00 का समायोजन बिलिंग लेजर में दे दिया गया है, जिसके उपरांत दिनांक

क्रमशः 2....

12.11.2025 को उन्हें रू0 435.00 का बिल निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी द्वारा माह 10 / 2025 के विद्युत बिल रू0 997.00 का भुगतान किए जाने के उपरांत उनके कंज्यूमर लेजर से उक्त धनराशि घटा दी गई है, जिसके उपरांत परिवादिनी को नवंबर माह में रू0 435.00 का बिल निर्गत किया गया है। उक्त बिल में पिछले बिल की धनराशि जोड़े जाने का परिवादिनी का कथन असत्य एवं निराधार है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 154 / 2025–26 दिनांक : 11.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दयाराम त्रिपाठी पुत्र श्री मुंशी प्रसाद, परिवादी
संजय नगर, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री दयाराम त्रिपाठी पुत्र श्री मुंशी प्रसाद का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892N154152194 (01 किलोवाट घरेलू) जो उनके परिसर पर स्थापित है। वह अपने विद्युत बिल का भुगतान नियमित रूप से करता आ रहा है। विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2023 को विद्युत बिल में गलत रीडिंग 4898 केडब्लूएच दर्ज किए जाने के बाद से विद्युत बिल ज्यादा आ गया, जो गलत बिल बनाये जाने के कारण वर्तमान समय तक बकाया प्रदर्शित हो रहा है। जबकि उनके अनुसार माह जुलाई 2023 से माह फरवरी 2025 तक कुल विद्युत खपत 2905 यूनिट की है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 23.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025, 24.10.2025, 06.11.2025, 27.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4324 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन की बिलिंग प्रणाली को

क्रमशः 2....

जांचने पर पाया कि परिवादी को माह 12 / 2015 से माह 04 / 2023 तक आईडीएफ के आधार पर बिल निर्गत किए जा रहे थे, जिसके उपरांत दिनांक 29.12.2023 को उनके मीटर में माह 04 / 2023 में अंकित वास्तविक रीडिंग 8420 केडब्ल्यूएच के आधार पर उनका बिल संशोधित करते हुए रू0 11474.00 का समायोजन दे दिया गया था। इसके उपरांत परिवादी को लगातार मीटर में अंकित वास्तविक रीडिंग के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। वर्तमान में माह 09 / 2025 में निर्गत विद्युत बीजक के अनुसार परिवादी पर रू0 33852.00 का बिल भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को माह 12 / 2015 से माह 04 / 2023 तक आईडीएफ के आधार पर बिल निर्गत किए गए, जबकि माह 12 / 2023 में उक्त आईडीएफ अवधि के बिलों को मीटर में अंकित वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित किया गया, जिसमें परिवादी को रू0 11474.00 का समायोजन भी दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा इसके उपरांत परिवादी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। मीटर में अंकित उक्त रीडिंग के संबन्ध में परिवादी द्वारा कभी भी कोई आपत्ति / विवाद नहीं किया गया है। चूंकि मीटर में अंकित अविवादित / वास्तविक रीडिंग के बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र नेगी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 162 / 2025–26 दिनांक : 11.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दिव्य प्रकाश जोशी पुत्र श्री मोहन चन्द्र जोशी, परिवादी
कंजाबाग नियर प्राईमरी स्कूल, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री दिव्य प्रकाश जोशी पुत्र श्री मोहन चन्द्र जोशी का एक शिकायती पत्र दिनांक 10.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2K604181279 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल एक माह की अवधि से ऊपर 47 से 49 दिनों की देरी में जारी किया गया है, जबकि माननीय विद्युत नियामक आयोग, देहरादून द्वारा जारी उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु मासिक बिल की सुविधा की गई है, जिससे कम यूनिट स्लैब रेट का लाभ मिल सके। लेकिन विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में बिल जारी न किए जाने के कारण अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग एवं सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करायी गई, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन का विद्युत बिल निर्धारित अवधि के दौरान नियमित रूप से जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 10.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 18.10.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.10.2025, 07.11.2025, 28.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1627 दिनांक 06.11.2025 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बिलिंग विवरण जांचने पर ज्ञात हुआ कि परिवादी के विद्युत बीजक टी0डी0एस0 फर्म के अनुबन्धित मीटर रीडर द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं, जिनके पाठयांकों का विभाजन दिनों के आधार पर किया गया है। चूंकि टी0डी0एस0 फर्म द्वारा ली गयी रीडिंग 30 दिनों से अधिक की है जिसके लिए टी0डी0एस0 फर्म को मौखिक रूप से चेतावनी भी दी गयी है। विद्युत मीटर पाठयांक के आधार पर परिवादी के विद्युत बिल सही हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को 30 दिन से अधिक अवधि का बिल निर्गत किया गया है, परन्तु तथ्यों के आधार पर यह भी स्पष्ट है कि उक्त बिलों की गणना विपक्षी विभाग द्वारा दिवसों के अनुसार की गई है, जिससे परिवादी पर अधिक टैरिफ दरों का अनुचित बोझ नहीं पड़ा है। अतः उक्त बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में परिवादी को भविष्य में सभी बिल मासिक आधार पर निर्गत करने का आश्वासन दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मासिक आधार पर बिल निर्गत करना सुनिश्चित करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मेहाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 170/2025–26 दिनांक : 11.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अशोक कुमार, परिवादी
म0नं0 511, नेयना कालोनी, भूरारानी रोड, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री अशोक कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K321123411 (03 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर की तकनीकी जांच हेतु तकनीशियन दिनांक 22.10.2025 को आये और मीटर की जांच की जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उक्त स्थापित मीटर की सील टूटी हुई है यह सील लगानी होगी जिसका शुल्क रू0 500.00 देना पड़ेगा। इस पर प्रार्थी ने कहा कि अधिकृत और अनुचित है। मीटर और उसकी सील यूपीसीएल विभाग की सम्पत्ति है और इन्हें अधिकृत कार्मिकों द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उपभोक्ता से कोई सीधा शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर तकनीकी मरम्मत के बाद। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की सील को सुरक्षित तरीके से लगवाने की प्रार्थना की है, जिससे वह भविष्य में मीटर के साथ किसी भी छेड़छाड़ की अनावश्यक कार्यवाही से बचा सके।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 24.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 01.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.11.2025, 27.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या–170 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3885 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि शिकायत में सन्दर्भित व्यक्ति विभाग में कार्य नहीं करता है और न उनके द्वारा किसी कर्मचारी को परिवादी के परिसर पर भेजा गया था। प्रकरण के संज्ञान में आने के उपरान्त अवर अभियन्ता द्वारा मीटर को सील कर परिवादी की शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा ई–मेल के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान होने की पुष्टि करते हुए अपनी संतुष्टि भी व्यक्त की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने लिखित जवाब दावे की प्रति एवं परिवादी द्वारा ई–मेल से प्रेषित संतुष्टि पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 156/2025–26 दिनांक : 26.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 वर्धमान प्लास्टोटेक,
रामेश्वरपुरम, ग्राम लालपुर, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा। विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 वर्धमान प्लास्टोटेक की ओर से श्री मदन लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.09.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000100020 (70 किलोवाट औद्योगिक) पर माह जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। विभागीय कर्मचारियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाते समय बताया गया था कि दोनों मीटर एक समान है। यदि कोई भी समस्या आती है तो पुराना मीटर ही लगा दिया जायेगा। इसके उपरान्त 03 माह से बिल अधिक आने के कारण जब विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया तो वह कहने लगे कि पॉवर फैक्टर लगा लो, जबकि इससे पहले उनके बिल में पीएफ ठीक आ रहा था। स्मार्ट मीटर लगाते समय विभागीय कर्मचारियों द्वारा न तो ट्रेनिंग दी न कुछ बताया, जबकि कोई भी नई चीज लगाते समय उपभोक्ता को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर की जांच कराकर बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 24.09.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.09.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.10.2025, 24.10.2025, 06.11.2025, 27.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर, श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार,

क्रमशः 2....

कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4242 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की पूर्व में की गयी शिकायत के आधार पर खण्ड कार्यालय के पत्र संख्या–4015 दिनांक 06.09.2025 के माध्यम से मै0 अडानी एनर्जी सॉल्यूसन को चैक मापक लगाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है जिसकी एक प्रति विद्युत परीक्षण खण्ड कार्यालय, रूद्रपुर को भी प्रेषित की गयी है, जिसके क्रम में इस खण्ड कार्यालय के पत्र संख्या–4232 दिनांक 27.09.2025 के माध्यम से विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर को पुनः प्रेषित किया गया है। विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4862 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा इस मंच को पुनः अवगत कराया है कि परिवादी शिकायत के आधार पर विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर के सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 10.10.2025 को परिवादी के विद्युत संयोजन पर चैक मापक स्थापित किया गया है, जिसे दिनांक 21.11.2025 को फाईनल किया गया है। चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण में परिवादी का पुराना मापक सही पाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मीटर से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी परिसर पर दिनांक 09.07.2025 को पुराना मीटर संख्या–5138815 उतारकर नया स्मार्ट मापक संख्या–14801463 स्थापित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार इसके उपरांत परिवादी द्वारा दिनांक 04.09.2025 को विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता से लिखित शिकायत की गई कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनका बिल अधिक धनराशि का आ रहा है। अतः उनके संयोजन पर लगाए गए स्मार्ट मीटर के परीक्षण हेतु चैक मीटर के रूप में पुराना मीटर स्थापित किया जाए। हालांकि, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर पर दिनांक 10.10.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 21.11.2025 को चैक मापक फाइनल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार उक्त परीक्षण के दौरान परिवादी के पुराने मीटर एवं चैक मीटर में अंकित खपत Permissible Limit के अंदर पाई गई। अर्थात, परिवादी का पुराना मापक सही पाया गया।

परिवादी का कथन है कि विपक्षी विभाग द्वारा उनके अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए चैक मापक के रूप में पुराना मापक लगाने की बजाय नया स्मार्ट मापक स्थापित कर दिया गया, जबकि जिस बदले हुए नए मापक के कारण उनका बिल अधिक आ रहा है वो मापक भी स्मार्ट मीटर ही है। परिवादी द्वारा उनके संयोजन पर लगे नए स्मार्ट मीटर को जांचने के लिए पुराना मीटर (Non-Smart Meter) चैक मापक के रूप में स्थापित करने की अपनी मांग को बल देते हुए Superintending Engineer, EPC (RDSS), UPCL के पत्र संख्या–शून्य, दिनांक 06.05.2025 की प्रति भी इस मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त पत्र में सभी परीक्षण खण्डों को निर्देशित किया गया है कि, *"...This is to inform....., old meters removed by the AMISP during smart meter installations are to be reprurposed and installed as check meters. In this regard, you are requested to take necessary action to calibrate the removed meters at your test labs before their reuse for the*

क्रमशः 3....

purpose of check meter installation....."

परिवादी के उपरोक्त तर्क के जवाब में विपक्षी विभाग द्वारा Superintending Engineer, Corporate (Contract and procurement-II), UPCL का कार्यालय ज्ञाप संख्या—1211, दिनांक 08.08.2025 की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेशित किया गया है कि, *"....As per approval of committee of Directors, in reference to consumers where smart meters is installed in case complaints is received regarding accuracy of meter (meter being fast), AMISP will install smart meter as check meter....."*

उभय पक्षों के तर्कों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों / पत्रों का सम्यक परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा वर्तमान में पुराने मापकों को नए स्मार्ट मापक से बदलने का अभियान प्रारम्भ किया गया है। नए स्मार्ट मापक लगाए जाने पर कई प्रकार की शिकायतें भी विपक्षी विभाग को प्राप्त हो रही हैं। विद्युत उपभोक्ताओं की ऐसी शिकायतों के निस्तारण के संबन्ध में ही उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा समय—समय पर उपरोक्त दोनों आदेश जारी किए गए हैं। चूंकि इन आदेशों की फेहरिस्त में दिनांक 08.08.2025 को Superintending Engineer, Corporate (Contract and procurement-II), UPCL द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या—1211, सबसे नया एवं अद्यतन आदेश है। अतः वर्तमान में उक्त आदेश को ही प्रभावी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा प्रथम बार दिनांक 04.09.2025 को अपने संयोजन पर लगे स्मार्ट मापक की जांच करने के संबन्ध में शिकायत की गई है, जबकि Superintending Engineer, Corporate (Contract and procurement-II), UPCL द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या—1211 इससे पूर्व दिनांक 08.08.2025 को निर्गत कर दिया गया था। अतः स्पष्ट है कि परिवादी की वर्तमान शिकायत को Superintending Engineer, Corporate (Contract and procurement-II), UPCL द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या—1211 के आलोक में ही निस्तारित किया जाना न्यायोचित होगा। चूंकि उक्त आदेश के अनुसार विपक्षी विभाग परिवादी के संयोजन पर लगे स्मार्ट मीटर की जांच चैक मीटर स्थापित कर कर चुका है, जिसमें परिवादी का मापक सही पाया गया है। अतः परिवादी की यह शिकायत उपरोक्तानुसार स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 161 / 2025–26 दिनांक : 26.12.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 एपेक्स बायोफ्यूल्स सीओ श्री रवि शेखर रूसिया, परिवादी
खसरा नं0 265, ग्राम सोनेरा, आजाद नगर, किच्छा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी मै0 एपेक्स बायोफ्यूल्स सीओ श्री रवि शेखर रूसिया का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000242980 (75 किलोवाट औद्योगिक) का विद्युत बिल दिनांक 31.05.2025 से दिनांक 30.06.2025 की अवधि हेतु जारी किया गया है। माह जुलाई 2025 में विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया गया है, परन्तु विभाग द्वारा सीलिंग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। विभागीय कार्यालय में लगातार सम्पर्क करने के बावजूद भी सीलिंग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और न ही बिल जारी किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर का सीलिंग प्रमाण पत्र एवं विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 08.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 18.10.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.10.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.10.2025, 06.11.2025, 27.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4423 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर विद्युत परीक्षण

क्रमशः 2....

प्रयोगशाला, रूद्रपुर के सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या–00060/002 के अनुसार दिनांक 10.07.2025 को स्मार्ट मापक स्थापित किया गया, जिसकी सीलिंग विद्युत परीक्षण खण्ड कार्यालय द्वारा सिस्टम पर अपडेट न किए जाने के कारण बिल निर्गत नहीं हो पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय द्वारा मै0 अडानी सोल्यूशन एवं विद्युत परीक्षण खण्ड को लिखित पत्र प्रेषित किया गया है। विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4861 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति एवं रू0 175231.00 का विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल रू0 175231.00, सीलिंग प्रमाण पत्र, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 174/2025–26 दिनांक : 26.12.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री एस.पी. साहू (भूवपूर्व प्रधान अधिकारी), **परिवादी**
भारतीय तट रक्षक, पता–सामिआ लेक सिटी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री एस.पी. साहू (भूवपूर्व प्रधान अधिकारी) भारतीय तट रक्षक का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि वह सामिआ लेक सिटी, विला नं0 सी32, रूद्रपुर स्थायी निवासी है। वह अपनी वृद्ध पत्नी के साथ निवास करता है। उनके विला नं0–सी32, के कोने में एक बिजली पोल है जो कि काफी पुराना है और उससे बहुत सारे विद्युत एवं फाइबर कनेक्शन दिये गये है, जो उसकी क्षमता से बहुत अधिक है। मौसम खराबी में तेज हवा चलने पर पोल हिलता है। इसी पोल से विला नं0–सी32, सी33 एवं सी45 आदि का विद्युत कनेक्शन जोड़ा गया है। क्योंकि दूसरी सड़क पर कोई भी विद्युत पोल नहीं है। उक्त कालोनी के विल्डर को विद्युत सुविधा हेतु मार्च 2017 में ही चार्जेस दिये जा चुके है, लेकिन कोई विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके उपरान्त विद्युत विभाग बिना पोल स्थापित किए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपनी उक्त कालोनी सामिआ लेक सिटी, रूद्रपुर में विद्युत आपूर्ति की उचित व्यवस्था हेतु विद्युत तारों को सही कराते हुए नया विद्युत पोल स्थापित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 25.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 06.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 06.11.2025, 27.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क

क्रमशः 2....

सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—3889 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त मामले से सम्बन्धित अवर अभियन्ता को जांच आख्या प्रेषित कर दी गयी है, जिसमें अन्य विला में जा रही विद्युत तारों को सामिया बिल्डर्स द्वारा अन्डर ग्राउन्ड विद्युत लाईन बिछाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसको अतिशीघ्र ही अन्डरग्राउन्ड लाईन करने के उपरान्त परिवादी की शिकायत का स्वतः ही समाधान हो जायेगा। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सामिया बिल्डर्स द्वारा लिखित पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि यह प्रकरण सामिया लेक सिटी में निवासरत कई परिवारों को सुचारू विद्युत आपूर्ति कराने से जुड़ा है। इसके संबन्ध में कालोनीवासियों का बिल्डर्स के साथ पूर्व मे अनुबन्ध हो चुका है तथा उक्त अनुबन्ध के अनुरूप वे उक्त बिल्डर्स को विद्युत स्थापना संबन्धी कार्यों हेतु निर्धारित धनराशि का भुगतान भी कर चुके हैं। स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण कालोनीवासियों एवं बिल्डर्स के बीच पैदा हुए विवाद से संबन्धित है, जिसमें उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन का कोई भी लेना—देना नहीं है। अतः यह मंच अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के इस प्रकरण में सुनवाई करने अथवा निर्णय पारित करने में सक्षम नहीं है। तद्नुसार परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 177/2025–26 दिनांक : 26.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मनोज सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह, परिवादी
दुर्गापुर नं0 02, बकसौरा दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री मनोज सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 28.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1D117659080 (01 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल की खपत 70–80 यूनिट प्रतिमाह से अधिक नहीं रही है। उनका विद्युत मीटर भी बिल्कुल सही चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूपीसीएल पोर्टल पर ऑनलाईन गलत/असामान्य रीडिंग प्रदर्शित हो रही है, जिस कारण गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज दिनांक तक कुल खपत 3342.67 यूनिट तक दिखाई दे रही है। इस सम्बन्ध में कई बार शिकायत दर्ज करायी गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। पोर्टल डेटा उनके वास्तविक मीटर पाठयांक के आधार पर बिना किसी आधार के अपने आप बढ़ रहा है। इसलिए अनावश्यक तनाव और उलझन पैदा हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 28.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—3958 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन का बिलिंग हिस्ट्री विवरण जांचने पर पाया गया कि परिवादी का विद्युत बिल सही है। परिवादी का माह 10 / 2025 में 265 केडब्लूएच रीडिंग पर बनाया गया था जिसके बाद दिनांक 24.11.2025 को परिवादी के मीटर की जांच कराई गयी थी, जिसमें परिवादी के मीटर में 291 केडब्लूएच रीडिंग दर्ज पायी गयी थी तथा वर्तमान में परिवादी का माह 11 / 2025 का बिल 33 यूनिट खपत के आधार पर बनाया गया है, तथा बिलिंग हिस्ट्री के आधार पर परिवादी के विद्युत मापक में दर्ज 297 केडब्लूएच यूनिट सही है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी का प्रश्नगत संयोजन दिनांक 22.07.2025 में निर्गत किया गया था, जिसके बाद से परिवादी को लगातार मीटर में अंकित वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किए जा रहे हैं। चूंकि वास्तविक रीडिंग के आधार पर निर्गत बिल सही है, जिसकी देयता परिवादी पर बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 180/2025–26 दिनांक : 26.12.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती हेमेन्द्र वटी पत्नी श्री लालता प्रसाद, परिवादी
प्लॉट नं0 74, फुलसुंगी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती हेमेन्द्र वटी पत्नी श्री लालता प्रसाद का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A912197286 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल 19075 यूनिट दर्ज करते हुए बनाया गया है जबकि दिनांक 29.10.2025 को उनके मीटर का पाठयांक 18592 यूनिट दर्ज है। परिसर पर स्थापित मीटर की वास्तविक रीडिंग की जांच की गई जो सही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर मीटर के वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 29.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5098 दिनांक 06.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर पुराने मापक संख्या–19075 को बदलकर दिनांक 29.10.2025 को स्मार्ट मापक संख्या–42110220 स्थापित किया गया, जिसके उपरान्त परिवादिनी के विद्युत बिल में स्मार्ट मापक एजेंसी द्वारा दिनांक 29.10.2025 को त्रुटिवश

क्रमशः 2....

पुराने मापक की फाइनल रीडिंग 19075 केडब्लूएच अंकित कर दी गयी, जोकि 18592 केडब्लूएच थी। परिवादिनी के माह 10/2025 के विद्युत बीजक को पुराने मापक की वास्तविक फाइनल रीडिंग 18592 केडब्लूएच के आधार पर विद्युत बीजक में संशोधन करते हुए रू0 1835.00 का समायोजन दिया गया है, जिसके माह 10/2025 तक का रू0 4829.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 188/2025–26 दिनांक : 26.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती आशा रानी वास्ते श्री मुलक राज ठुकराल, परिवादी
ग्राम महाराजपुर, लालपुर, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती आशा रानी की ओर से श्री मुलक राज ठुकराल पुत्र श्री जय चन्द्र ठुकराल का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9F096007257 (7.50 एच.पी. नलकूप) पर स्थापित विद्युत मापक जम्प हो गया था जिसकी शिकायत विभागीय कार्यालय में की गई तो विभाग द्वारा मापक की जांच हेतु चैक मापक लगाया गया। चैक मापक फाइनल किए जाने पर दोनों मापकों के पाठ्यांक का अन्तर सामान्य पाया गया, जिस वजह से विद्युत बिल संशोधित नहीं हो पाया। वह इतना अधिक बिल देने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर नलकूप विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 11.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादिनी प्रतिनिधि श्री मुलक राज ठुकराल के तथा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर, श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4797 दिनांक 19.11.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का विद्युत बीजक पूर्व में ही संशोधित कर दिया

क्रमशः 2....

गया है, जिसके उपरान्त परिवादिनी का वर्तमान बकाया बिल रू0 2,12,149.00 है। परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 15.06.2023 को नया मापक संख्या—8792567 स्थापित किया गया था, तत्पश्चात परिवादिनी का विद्युत बीजक एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक खपत दर्ज करते हुए निर्गत किये जा रहे हैं। परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 19.09.2025 को चैक मापक भी स्थापित किया गया जिसमें कोई भी भिन्नता नहीं पायी गई है, दोनों मीटरों द्वारा बराबर खपत दर्ज की गयी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर, कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को पूर्व में आईडीएफ के बिल प्रेषित किए गए थे, जिसके उपरांत विपक्षी विभाग द्वारा बिल संशोधित कर दिया गया था। दिनांक 15.06.2023 को परिवादिनी के संयोजन पर नया मीटर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत परिवादी को लगातार एमआरआई रिपोर्ट में अंकित वास्तविक खपत के बिल प्रेषित किए जा रहे हैं, परन्तु बिलों का नियम समय पर नहीं किया जा रहा है। चूंकि वास्तविक खपत के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 190/2025–26 दिनांक : 26.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, परिवादी
इन्द्रा कालोनी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर दयाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती शशि के नाम एक नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था जिसकी आवेदन संख्या–943240925001 है। इससे पूर्व कभी भी मेरी पत्नी के नाम कोई संयोजन नहीं लिया गया है। लेकिन विभाग द्वारा उक्त मेरी पत्नी के नाम विद्युत संयोजन बताया जा रहा है जिस पर बकाया भी है, बताते हुए विभाग द्वारा नये संयोजन के आवेदन को खारिज कर दिया गया। विभाग द्वारा नया संयोजन देने से मना किया जा रहा है, जबकि विभागीय नियमानुसार 07 दिनों के अन्दर नया संयोजन दिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए नये संयोजन जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 19.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025 व 10.12.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3886 दिनांक 27.11.2025 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के संदर्भित संयोजन की जांच में पाया गया कि परिवादी के परिसर पर विभागीय संयोजन चल रहा था तथा विभागीय उपभोक्ता न होने के उपरांत भी उक्त व्यक्ति कैपिंग यूनिट का लाभ ले रहा था, जिसके कारण उसके पंजीकरण को निरस्त किया गया था। वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी / अवर अभियंता की आख्या के अनुसार परिवादी के नए संयोजन हेतु पंजीकरण कर दिया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या–943261125010 है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अवर अभियन्ता रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 194/2025–26 दिनांक : 26.12.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री परवेज आलम पुत्र श्री खलील अहमद, परिवादी
प्रीत विहार कालोनी, फजलपुर महरौला, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री परवेज आलम पुत्र श्री खलील अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891A705216958 (04 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल का भुगतान रू0 1163.00 दिनांक 24.11.2025 को किया गया है लेकिन खाते में समयोजित नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल भुगतान को समायोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 26.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.12.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5099 दिनांक 06.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बिलिंग प्रणाली की जांच करने पर पाया गया कि परिवादी द्वारा माह 11/2025 के विद्युत बीजक के सापेक्ष दिनांक 24.11.2025 को ऑनलाईन भुगतान रू0 1163.00 का किया गया था। सिस्टम पर अपडेट न होने के कारण परिवादी द्वारा उक्त शिकायत की गयी। वर्तमान में परिवादी द्वारा रू0 1163.00 के भुगतान को उनक खाते में

क्रमशः 2....

समायोजित कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा ई—मेल के माध्यम से भी की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य